

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा
शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

मुजफ्फरपुर जिला के *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत ...मुजफ्फरपुर.....

के वार्ड संख्या 33 से *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम रेहमी आरा

पति/पति का नाम मोहम्मद अब्दुल्लाह

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थदण्ड से दंडित किये गये हैं-

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:- शून्य

(i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये- शून्य

(ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- शून्य

(iii) किये गये अपराध की प्रकृति- शून्य
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)

(iv) दिया गया दण्ड- शून्य

(v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- शून्य

(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि- शून्य

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं? शून्य

(i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- शून्य

(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- शून्य

(iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है- शून्य

(iv) यदि निष्पादित है, तो शून्य

(क) निष्पादन की तिथि- शून्य

(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- शून्य

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- शून्य

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- शून्य

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge) किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें- शून्य

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हैं- शून्य

(ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या- शून्य

2. क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर कैसे किसी लंबित मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:- **शून्य**

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- **शून्य**
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- **शून्य**
- (iii) अपराध संख्या **शून्य**
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- **शून्य**
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- **शून्य**

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कंडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें- **शून्य**

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है- **शून्य**
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- **शून्य**
- (iii) अपराध संख्या- **शून्य**
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- **शून्य**
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- **शून्य**

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लंबित हो, तो पूर्ण विवरण- **शून्य**

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

(i) कृषि भूमि :- **शून्य**

(ii) शहरी भूमि- **08 कट्टा 10 चुर बाजार मूल्य - 187000000=00**
(स्वयं एवं पति के द्वारा) (एक करोड़ अतासी लाख रुपया लगभग)

(iii) भवन- **03 (तीन)** (1) एक पुराना पक्का मकान

(2) एक नया पक्का मकान

(3) एक पुराना एलवेस्टर शैड मकान

मकान स्थित सादपुरा, तीनो मकान का अनुमानित मूल्य - **1551000=00**

(पन्द्रह लाख एकावन हजार रुपया लगभग)

(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमत:-

(i) नकद 71000=00 रुपया
(पति पत्नी का)

(ii) बैंक बैलेन्स- 2535984=66 (पति पत्नी का)
(बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें) शून्य

(iii) फिक्स डिपोजिट शून्य

(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

(iv) बॉण्ड, शेयर-वॉण्ड- 2660000=00
भारतीय जीवन बीमा निगम (पति पत्नी का)
(इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें) शून्य

(v) वाहन मेट्र साइकिल:-02
(पति पत्नी का)

वर्तमान बाजार मूल्य:- 70000=00
(निबन्धन की छाया प्रति जिसका परिवहन रुपया

पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)

शून्य

(vi) आभूषणों का विवरण 51 साम (सोना आभूषण)
(पूर्ण विवरण दें) मूल्य लगभग- 255000=00
रुपया

6. ** (क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/

वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएँ शून्य

(प्रमाण-पत्रों के साथ)

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति शून्य

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज (i) मैट्रिक- रुच 0 की 0 सीगरा रुच 0 रुम 0
उद्गल स्कूल, दरभंगा, सन- 2000
के नाम के साथ अंकित करें- (ii) इन्टर मीडियट (कला) सी 0 रुम 0 कॉलेज
दरभंगा, सन- 2006

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- मुजफ्फरपुर

तिथि- 22-09-2022

Reshami Aarya
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

** वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वेलथ टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया।

नोट :- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।

स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।

Mr. Zameer

Arh

20/09/22

01/01/22

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee

YL 0006709971



DATE & TIME :

15-SEP-2022 11:16:50

NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :

SAHAJ RETAIL LIMITED

LOCATION :

CIVIL COURT MUZAFFARPUR

e-COURT RECEIPT NO :

BRCT151012208L400

e-COURT FEE AMOUNT :

₹ 90

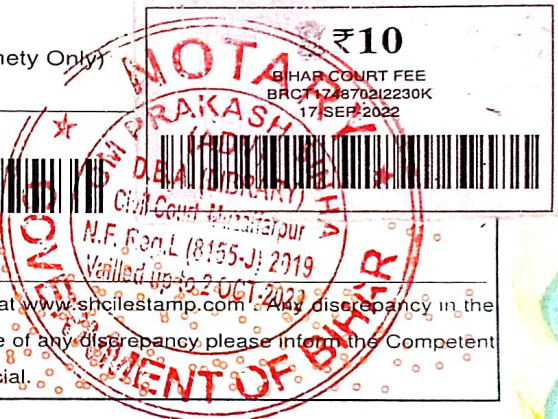
(Rupees Ninety Only)

₹10

BIHAR COURT FEE
BRCT151012208L400
17 SEP 2022



BRCT151012208L400



Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shcilestamp.com. Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.



मैं, रेशमी आर्या पति/पति मोहम्मद अब्दुल्लाह

उम्र 3.6 वर्ष, *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर प्रचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 3.3

मोहल्ला श्यादपुरा, पोस्ट श्मना, थाना काजीमुहम्मदपुर, जिला मुजफ्फरपुर

बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर प्रचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 3.3 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर प्रचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड 3.3 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य है।

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर मोहम्मद जलाल उद्दीन Reshami Aarua
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
नाम- मोहम्मद जलाल उद्दीन
मुहल्ला - श्यादपुरा, पोस्ट - श्मना
पता- थाना- काजीमुहम्मदपुर, जिला- मुजफ्फरपुर

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर शफ़ीउद्दीन मोहम्मद कासमी
नाम- शफ़ीउद्दीन मोहम्मद कासमी
मुहल्ला - श्यादपुरा जकरिया कॉलनी, पोस्ट - श्मना
पता- थाना- काजीमुहम्मदपुर, जिला- मुजफ्फरपुर

स्थान : मुजफ्फरपुर

दिनांक : 22-09-2022

SR. 74 DATE 28 SEP 2022

लगातार

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जाएगी।

THE ABOVE NAMED EXECUTIVE HAS BEEN IDENTIFIED BY
ADVOCATE KNOWN TO ME PERSONALLY TO MY
BEFORE ME
OM PRAKASH SINHA
NOTARY & (ADV.)
CIVIL COURT MUZAFFARPUR (BIHAR)

nd. Reshami Aarua
Adm
20/09/22
6-16037/95